



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

फोन न 0141-2221590 ई-मेल आईडी:- md-nrhm-rj@nic.in

~~F.32(21)/NRHM/CSR/Telematic/PA/6/23~~

दिनांक 23/4/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
जिला/उप-जिला/सैटेलाइट चिकित्सालय,  
राजस्थान।

विषय:- स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल टेलीकन्सलटेशन नेटवर्क 'eSanjeevaniOPD.in वेब-पोर्टल' के क्रियान्वयन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि राज्य में टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट हेतु जिला चिकित्सालय/उप-जिला चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिमोट साइट्स (कुल 100 रिमोट साइट्स-सूची संलग्न) स्थापित की गई थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के टेलीकन्सलटेशन प्लेटफार्म का क्रियान्वयन उक्त रिमोट साइट्स पर किया जाना है, जिससे मरीज सुरक्षित तरीके से घर पर रहते हुए चिकित्सकों से टेलीकन्सलटेशन प्राप्त कर सकेंगे। (संलग्न:-यूजर गाइड एवं प्रोसेस फ्लो)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 1-1 फिजिशियन/गायनीकोलोजिस्ट/पीडियाट्रिशियन की ड्यूटी रोटेशन पर टेलीकन्सलटेशन हेतु लगाया जाना सुनिश्चित करें। यदि उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएँ चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध नहीं है तो 'रिक्त पद' की सूचना देवे।

उक्त चिकित्सकों की सूचना अविलम्ब आज दिनांक सांय: 05.00 बजे तक [medicalcsr@gmail.com](mailto:medicalcsr@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही आज 23.04.2020 सांय 06.00 बजे संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में प्रशिक्षण लेने हेतु उक्त चिकित्सकों को निदेशित करें।

क्र.सं	चिकित्सा संस्थान का नाम, जिला	चिकित्सक का नाम	विशेषज्ञता	मोबाईल नम्बर
1.			फिजिशियन	
2.			गायनीकोलोजिस्ट	
3.			पीडियाट्रिशियन	

संलग्न उपरोक्तानुसार

(डॉ.क.क.शर्मा)

निदेशक जन-स्वास्थ्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग
3. निजी सहायक, निदेशक जनस्वास्थ्य/आरसीएच।
4. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, एनएचएम
5. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), राजस्थान।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी अधिकारी सीएचसी/पीएचसी राजस्थान।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।

निदेशक जन-स्वास्थ्य